

# आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 18)

[25 मार्च, 2016]

भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुशासन के रूप में ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करके ऐसी सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के, जिसके लिए भारत की संचित निधि [या राज्य की संचित निधि] से व्यय उपगत किया जाता है दक्ष, पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए, तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार 2\*\*\* संपूर्ण भारत पर होगा और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर इसके अधीन किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी लागू होगा

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

<sup>3</sup>[(क) “आधार संख्या” से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी पहचान संख्या अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उस धारा की उपधारा (4) के अधीन जनित कोई वैकल्पिक परोक्ष पहचान भी है ;]

<sup>4</sup>[(कक) “आधार पारिस्थितिक तंत्र” के अंतर्गत नामांकन अभिकरण, रजिस्ट्रार, अनुरोध करने वाले अस्तित्व, आफ लाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व और कोई अन्य अस्तित्व या अस्तित्वों का समूह है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;]

(ख) “आधार संख्या धारक” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई आधार संख्यांक जारी किया गया है;

<sup>3</sup>[(खख) “न्यायनिर्णायक अधिकारी” से धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(खख) “अपील अधिकरण” से धारा 33ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;]

(ग) “अधिप्रमाणन” से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या, केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन हेतु भेजी जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता का या कमी का सत्यापन करता है;

(घ) “अधिप्रमाणन अभिलेख” से अधिप्रमाणन के समय और अनुरोध करने वाले अस्तित्व की पहचान और प्राधिकरण द्वारा उसको दिए गए उत्तर का अभिलेख अभिप्रेत है;

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

(ङ) “प्राधिकरण” से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) “प्रसुविधा” से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में दी गई कोई सहूलियत, दान, इनाम, अनुतोष या संदाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य प्रसुविधाएं भी हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;

(छ) “बायोमैट्रिक सूचना” से किसी व्यक्ति की फोटो, अंगुलि छाप, आइरिस स्कैन या उसकी अन्य ऐसी जैविक विशेषता अभिप्रेत है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ज) “केंद्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार” से एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केंद्रीयकृत डाटा आधार अभिप्रेत है, जिसमें आधार संख्या धारकों की जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना के साथ ऐसे व्यक्तियों को जारी सभी आधार संख्यांक तथा उससे संबंधित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हैं;

(झ) “अध्यक्ष” से धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

<sup>1</sup>[(झक) “बालक” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;]

(ञ) “कोर बायोमैट्रिक सूचना” से किसी व्यक्ति की अंगुलि छाप, आइरिस स्कैन या उसकी अन्य ऐसी जैविक विशेषता अभिप्रेत है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ट) “जनसांख्यिकीय सूचना” के अंतर्गत किसी व्यक्ति के नाम, जन्म की तारीख, पता और अन्य सुसंगत जानकारी, जो आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, से सम्बन्धित सूचना है किन्तु इसके अंतर्गत मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख नहीं होंगे;

(ठ) “नामांकन अभिकरण” से इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्र करने के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या किसी रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ड) “नामांकन” से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्याएं जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ढ) किसी व्यक्ति के संबंध में “पहचान सूचना” के अंतर्गत उसकी आधार संख्या, उसकी बायोमैट्रिक सूचना और उसकी जनसांख्यिकीय सूचना है;

(ण) “सदस्य” के अंतर्गत धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य है;

(त) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार उसके सजातीय अर्थों और व्याकरणिय रूपभेदों सहित “अधिसूचित” पद का अर्थ लगाया जाएगा;

<sup>1</sup>[(तक) “आफलाइन सत्यापन” से ऐसी आफलाइन रीति के माध्यम से, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अधिप्रमाणन के बिना आधार संख्या धारक की पहचान करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(तख) “आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व” से कोई ऐसा अस्तित्व अभिप्रेत है, जो किसी आधार संख्या धारक का आफलाइन सत्यापन करने की वांछा करता है ;]

(थ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) “हकदारी के अभिलेख” से किसी कार्यक्रम के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई या उसके द्वारा प्राप्त प्रसुविधाओं, सहायिकियों और सेवाओं के अभिलेख अभिप्रेत हैं;

(ध) “रजिस्ट्रार” से इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों के नामांकन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई अस्तित्व अभिप्रेत है;

(न) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(प) “अनुरोधकर्ता अस्तित्व” से ऐसा अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति की आधार संख्या और जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना, केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को अधिप्रमाणन हेतु देता है;

(फ) “निवासी” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास में कुल मिलाकर एक सौ बयासी दिन या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रह रहा है;

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

(ब) “सेवा” से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपलब्ध कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य सेवाएं भी हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;

(भ) “सहायिकी” से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, नकद या वस्तु के रूप में, किसी प्रकार की कोई सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य सहायिकियां भी हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।

## अध्याय 2

### नामांकन

**3. आधार संख्या**—(1) प्रत्येक निवासी अपनी जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना देते हुए, नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके आधार संख्या अभिप्राप्त करने का हकदार होगा:

परंतु केंद्रीय सरकार समय-समय पर व्यक्तियों का ऐसा अन्य प्रवर्ग अधिसूचित कर सकेगी जो आधार संख्या अभिप्राप्त करने का हकदार हो सकेगा।

(2) नामांकन करने वाला अभिकरण, नामांकन के समय ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नामांकन कराने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित व्यौरों की जानकारी देगा, अर्थात्:—

(क) ऐसी रीति जिसमें सूचना का उपयोग किया जाएगा;

(ख) पाने वालों की प्रकृति, जिनके साथ अधिप्रमाणन के दौरान सूचना का साझा किया जाना आशयित है; और

(ग) सूचना तक पहुंच बनाने के अधिकार की विद्यमानता, ऐसी पहुंच बनाने हेतु अनुरोध करने की प्रक्रिया और ऐसा व्यक्ति या प्रभारी विभाग के व्यौरे, जिसको ऐसे अनुरोध किए जा सकते हैं।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना प्राप्त होने पर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना का सत्यापन करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को एक आधार संख्या जारी करेगा।

<sup>1</sup>[(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई आधार संख्या बारह अंकों की पहचान संख्या होगी और किसी व्यक्ति की वास्तविक आधार संख्या के विकल्प के रूप में वैकल्पिक परोक्ष पहचान प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में जनित की जाएगी, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।]

**3क. बालकों की आधार संख्या**—(1) नामांकन अभिकरण, बालक के नामांकन के समय बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति मांगेगा और धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यौरों को माता-पिता अथवा संरक्षक को सूचित करेगा।

(2) कोई ऐसा बालक, जो आधार संख्या धारक है, अठारह वर्ष की आयु पूरी करने के छह मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी आधार संख्या रद्द करने के लिए आवेदन करेगा और प्राधिकरण उसकी आधार संख्या रद्द करेगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, किसी बालक को अधिप्रमाणन द्वारा या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करने में असफलता के मामले में अथवा, उस बालक के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा से इंकार नहीं किया जाएगा।]

**4. आधार संख्या के गुण**—(1) किसी व्यक्ति को जारी किया गया आधार संख्यांक किसी अन्य व्यक्ति को पुनः समनुदेशित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई आधार संख्यांक अनियमित संख्या होगी और उसका आधार संख्यांक धारक के गुणों या पहचान से कोई संबंध नहीं होगा।

<sup>3</sup>[(3) प्रत्येक आधार संख्या धारक, अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए, अधिप्रमाणन के माध्यम से या आफलाइन सत्यापन के माध्यम से या ऐसे अन्य रूप में, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिसूचित किया जाए, स्वेच्छया अपनी आधार संख्या को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अधिप्रमाणन के रूप में आधार संख्या के स्वेच्छया उपयोग से ऐसी आधार संख्या का केवल आधार संख्या धारक की अनुप्रमाणित सहमति से ही उपयोग अभिप्रेत है।

(4) किसी अस्तित्व को अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अनुरोधकर्ता अस्तित्व—

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

- (क) निजता और सुरक्षा के ऐसे मानकों का अनुपालन करता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं; और
- (ख) (i) अधिप्रमाणन सेवाएं आमंत्रित करने के लिए संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात किए जाएं; या
- (ii) ऐसे प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन चाहता है, जो केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे।

(5) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा यह विनिश्चय कर सकेगा कि किसी अनुरोधकर्ता अस्तित्व को, या तो अधिप्रमाणन के दौरान वास्तविक आधार संख्या का उपयोग करने के लिए या केवल उसकी वैकल्पिक परोक्ष पहचान का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(6) प्रत्येक अनुरोधकर्ता अस्तित्व, जिसे उपधारा (3) के अधीन आधार संख्या धारक द्वारा अधिप्रमाणन का अनुरोध किया जाता है, आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन सूचित करेगा और उसे अधिप्रमाणन से इंकार करने या असमर्थ होने के कारण किसी सेवा से मना नहीं करेगा।

(7) पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सेवा के प्रदान किए जाने के लिए किसी आधार संख्या धारक का आज्ञापक अधिप्रमाणन किया जाएगा, यदि ऐसा अधिप्रमाणन संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अपेक्षित है।]

**5. कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने हेतु विशेष उपाय—**प्राधिकरण, रिक्तियों, बालकों, जयेष्ठ नागरिकों, निःशक्त जनों, अकुशल और असंगठित कर्मकारों, यायावरी जनजातियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनका कोई स्थायी निवास गृह नहीं है और ऐसे अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों को जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय करेगा।

**6. कतिपय सूचना का अद्यतन किया जाना—**प्राधिकरण, समय-समय पर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्या धारकों से अपनी जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना को अद्यतन करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिससे कि केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में उनकी सूचना की सतत शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

### अध्याय 3

#### अधिप्रमाणन

**7. कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं आदि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या के सबूत का आवश्यक होना—**यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए भारत की संचित निधि<sup>1</sup> [या राज्य की संचित निधि] से व्यय उपगत किया जाता है या उससे प्राप्ति, भारत की संचित निधि<sup>1</sup> [या राज्य की संचित निधि] का भाग है, शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाए या उसके धारण करने का सबूत दे या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करे:

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है तो ऐसे व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधन की प्रस्थापना की जाएगी।

**8. आधार संख्या का अधिप्रमाणन—**(1) प्राधिकरण, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का संदाय करके और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी अनुरोधकर्ता अस्तित्व द्वारा दी गई किसी आधार संख्या धारक की आधार संख्या को, उसकी बायोमैट्रिक सूचना या जनसांख्यिकीय सूचना के संबंध में, अधिप्रमाणित करेगा।

(2) अनुरोधकर्ता अस्तित्व—

(क) जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, किसी व्यक्ति की अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए पहचान सूचना एकत्र करने से पूर्व, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी सहमति अभिप्राप्त करेगा<sup>2</sup> [या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करेगा]; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग केवल अधिप्रमाणन के लिए केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार को देने के लिए किया जाए।

<sup>3</sup>परन्तु अनुरोधकर्ता अस्तित्व, वृद्धावस्था के कारण या अन्यथा रोग, क्षति या अक्षमता होने के कारण अथवा किन्हीं तकनीकी या अन्य कारणों से अधिप्रमाणन में असफलता के मामले में, व्यक्ति की पहचान के ऐसे वैकल्पिक या व्यवहार्य साधन प्रदान करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।]

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 7 द्वारा “या राज्य की संचित निधि” शब्दों का अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 8 द्वारा “या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करेगा” शब्दों का अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

(3) अनुरोधकर्ता अस्तित्व अधिप्रमाणन के लिए अपनी पहचान सूचना देने वाले व्यक्ति को [या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को] ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिप्रमाणन के संबंध में निम्नलिखित व्यौरों की जानकारी देगा, अर्थात्:—

(क) सूचना की प्रकृति जिसे अधिप्रमाणन पर साझा किया जा सकेगा;

(ख) ऐसा उपयोग जिसके लिए अनुरोधकर्ता अस्तित्व द्वारा अधिप्रमाणन के दौरान प्राप्त सूचना का उपयोग किया जा सकेगा, और

(ग) अनुरोधकर्ता अस्तित्व को पहचान सूचना देने संबंधी अनुकल्प ।

(4) प्राधिकरण, किसी कोर बायोमैट्रिक सूचना को अपवर्जित करते हुए, अधिप्रमाणन पृष्ठताछ का उत्तर ऐसी पहचान सूचना को साझा करते हुए सकारात्मक, नकारात्मक या किसी अन्य समुचित उत्तर में देगा ।

**2।8क. आधार संख्या का आफलाइन सत्यापन—**(1) किसी आधार संख्या धारक का प्रत्येक आफलाइन सत्यापन इस धारा के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व—

(क) आफलाइन सत्यापन करने के पूर्व, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी व्यक्ति की सहमति या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति प्राप्त करेगा ; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आफलाइन सत्यापन के लिए किसी व्यक्ति से संग्रहीत कोई जनसांख्यिकीय सूचना या कोई अन्य सूचना केवल ऐसे सत्यापन के प्रयोजन के लिए ही उपयोग की जाए ।

(3) आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आफलाइन सत्यापन करवाने वाले व्यक्ति को या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को आफलाइन सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित व्यौरों की सूचना देगा, अर्थात् :—

(क) आफलाइन सत्यापन में साझा की जाने वाली सूचना की प्रकृति;

(ख) आफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व द्वारा आफलाइन सत्यापन के दौरान प्राप्त सूचना के किए जा सकने वाले उपयोग; और

(ग) अनुरोध की गई सूचना को प्रस्तुत करने के विकल्प, यदि कोई हों ।

(4) आफलाइन सत्यापन चाहने वाला कोई अस्तित्व—

(क) आधार संख्या धारक को अधिप्रमाणन के अधीन नहीं करेगा;

(ख) किसी प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की आधार संख्या या बायोमैट्रिक जानकारी संग्रहीत, उपयोग या भण्डारित नहीं करेगा ;

(ग) उस पर किसी बाध्यता के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।]

**9. आधार संख्या का नागरिकता या अधिवास, आदि का साक्ष्य न होना—**आधार संख्या या उसका अधिप्रमाणन, सवत: ही, किसी आधार संख्या धारक के संबंध में नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार या सबूत प्रदत्त नहीं करेगा ।

**10. केंद्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार—**प्राधिकरण, केंद्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कोई ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक अस्तित्वों का लगा सकेगा ।

#### अध्याय 4

### भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

**11. प्राधिकरण की स्थापना—**(1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो नामांकन और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 8 द्वारा "या बालक के मामले में उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को" शब्दों का अंत:स्थापित ।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत में अन्य स्थानों में अपने कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा।

**12. प्राधिकरण की संरचना**—प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा, से मिलकर बनेगा।

**13. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं**—प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास कम से कम दस वर्ष का नकनीकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित विषयों का अनुभव और ज्ञान हो।

**14. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें**—(1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य, ऐसी तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे:

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जो विहित किया जाए, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या सदस्य,—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीस दिन लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(4) अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

**15. अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना**—(1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या किसी समय किया गया है;

(ख) जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक हो गया है।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

**16. अध्यक्ष या सदस्यों पर पद की समाप्ति के पश्चात् नियोजन पर निर्बन्धन**—अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी कारण से पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना,—

(क) उस तारीख से, जिसको वह पद धारण करने से प्रविरत होता है तीन वर्ष की अवधि तक किसी ऐसे संगठन, कंपनी या किसी अन्य अस्तित्व में कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या उसके प्रबंध तंत्र से संसक्त नहीं होगा, जो प्राधिकरण द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान किए गए या संविदागत किसी कार्य से सहयुक्त रहा है:

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी:

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के लिए या उसकी ओर से किसी ऐसी विनिर्दिष्ट कार्यवाही या संव्यवहार या बातचीत या किसी मामले के संबंध में कार्य नहीं करेगा, जिसका प्राधिकरण एक पक्षकार है और जिसकी बाबत पद की समाप्ति के पूर्व अध्यक्ष या ऐसे सदस्य ने प्राधिकरण के लिए कार्य किया था या उसको सलाह दी थी;

(ग) ऐसी जानकारी का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को सलाह नहीं देगा, जो उसने अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अपनी हैसियत में अभिप्राप्त की थी और जनता के लिए अनुपलब्ध या उसे उपलब्ध कराए जाने के लिए समर्थ नहीं था;

(घ) कार्यालय में उसके अंतिम दिन से तीन वर्ष की अवधि तक, किसी ऐसे अस्तित्व से जिसके साथ उसकी पदावधि के दौरान सीधा और महत्वपूर्ण सरकारी व्यौहार था, सेवा की संविदा नहीं करेगा, उसके निदेशक मंडल में नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा या उसके नियोजन का प्रस्ताव प्रतिगृहीत नहीं करेगा।

**17. अध्यक्ष के कृत्य**—अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और इस अधिनियम के किसी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

**18. मुख्य कार्यपालक अधिकारी**—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्राधिकरण का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और—

(क) प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन;

(ख) कार्यचालन संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत विनिश्चयों;

(ग) प्राधिकरण के विनिश्चय और कार्यचालन संबंधी कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा लेखबद्ध करने;

(घ) प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करने और बजट का निष्पादन करने; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने या ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं,

के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए—

(क) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए साधारण रिपोर्ट;

(ख) कार्यचालन संबंधी कार्यक्रम;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक लेखे; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए बजट,

प्रस्तुत करेगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

**19. प्राधिकरण की बैठकें**—(1) प्राधिकरण, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कार्य करने के संबंध में जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, यदि वह किसी कारण से प्राधिकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम सदस्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा, किया जाएगा और बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य का निर्णायक मत होगा।

(4) प्राधिकरण के सभी विनिश्चय अध्यक्ष या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य या सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(5) यदि कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और जिसका ऐसे निदेशक के रूप में प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है, तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा तथा वह सदस्य उस विषय की बाबत प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

**20. रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना**—प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है;

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

**121. प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी**—(1) प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हों।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

**22. प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों का अंतरण**— प्राधिकरण की स्थापना से ही,—

(क) भारत सरकार के योजना आयोग की अधिसूचना सं० ए-4301/02/2009-प्रशासन-I, तारीख 28 जनवरी, 2009 द्वारा स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

**स्पष्टीकरण**—ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आस्तियों में सभी अधिकार और शक्तियां और सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर, जिसके अंतर्गत विशिष्टतः, नकद अधिशेष, निक्षेप और ऐसी संपत्तियों में के या उससे उद्भूत अन्य सभी हित और अधिकार जो ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कब्जे में हों और उससे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज भी हैं, तथा दायित्वों में किसी भी प्रकार के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं सम्मिलित समझी जाएंगी;

(ख) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दिन से ठीक पूर्व ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में सम्मिलित समझे जाएंगे। नामांकन के दौरान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा संगृहीत सभी डाटा और जानकारी, किए गए अधिप्रमाणन के सभी व्यौरे, उपगत ऋण, बाध्यताएं और दायित्व उसके द्वारा या उसके साथ या उसके लिए की गई सभी संविदाएं और ऐसे सभी विषय और बातें जिन्हें किए जाने के लिए वह वचनबद्ध है, प्राधिकरण द्वारा उपगत, उसके द्वारा या उसके साथ या उसके लिए की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएगी;

(ग) उस दिन से ठीक पूर्व उक्त भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को शोध्य सभी धनराशियां, प्राधिकरण को शोध्य समझी जाएंगी; और

(घ) जो उस दिन से ठीक पूर्व ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई थीं या जो इस प्रकार संस्थित की जा सकती थी, ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी या संस्थित की जा सकेगी।

**23. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य**—(1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, व्यक्तियों को आधार संख्यांक जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करेगा और उसका अधिप्रमाणन करेगा।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:—

(क) विनियमों द्वारा नामांकन के लिए अपेक्षित जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना और उसके संग्रहण तथा सत्यापन के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ख) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक की ईप्सा करने वाले किसी व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करना;

(ग) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार के प्रवर्तन के लिए एक या अधिक अस्तित्वों को नियुक्त करना;

(घ) आधार संख्यांक जनित करना और उसे व्यक्तियों को सौंपना;

(ङ) आधार संख्यांकों का अधिप्रमाणन करना;

(च) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, व्यक्तियों की सूचना बनाए रखना और उसे अद्यतन करना;

(छ) किसी आधार संख्यांक और उससे संबंधित जानकारी का ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लोप करना और निष्क्रिय करना;

(ज) विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकेगा, आधार संख्या के उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट करना;

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

(झ) रजिस्ट्रारों, नामांकन अभिकरणों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए, विनियमों द्वारा निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार की स्थापना, प्रवर्तन और बनाए रखना;

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए आधार संख्यांक धारकों की सूचना ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, साझा करना;

(ठ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार रजिस्ट्रार, नामांकन अभिकरणों और इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अन्य अभिकरणों की जानकारी और अभिलेख मंगाना, उनके परिचालनों का निरीक्षण, जांच तथा संपरीक्षा करना;

(ड) इस अधिनियम के अधीन, विनियम द्वारा आंकड़ा प्रबंध, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी रक्षोपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना;

(ढ) विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नई आधार संख्या जारी करने के लिए विनियम द्वारा शर्तें और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करना;

(ण) इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करना या रजिस्ट्रार, नामांकन अभिकरणों या अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लिए ऐसी फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करना;

(त) ऐसी समितियां नियुक्त करना, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हों;

(थ) बायोमैट्रिक और संबंधित क्षेत्रों की अग्रसरता के लिए जिनके अंतर्गत समुचित तंत्र के माध्यम से आधार संख्यांकों का उपयोग भी है अनुसंधान और विकास का संवर्धन करना;

(द) रजिस्ट्रार, नामांकन अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियम द्वारा, नीतियां और प्रक्रिया विकसित करना और उन्हें विनिर्दिष्ट करना;

(ध) व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए सुविधा केन्द्रों और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना;

(न) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जो विहित किए जाएं।

(3) प्राधिकरण,—

(क) जानकारी एकत्रित करने, उसके भंडारण, सुरक्षित या प्रक्रियागत करने या व्यक्तियों को आधार संख्या का परिदान करने या उसका अधिप्रमाणन करने संबंधी कृत्यों में से किन्हीं कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या अन्य अभिकरणों से, यथास्थिति, समझौता ज्ञापन या करार कर सकेगा;

(ख) जानकारी एकत्रित करने, उसके भंडारण, सुरक्षित रखने, प्रक्रियागत करने या उसका अधिप्रमाणन करने या उसके संबंध में कोई अन्य कृत्य करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, उतनी संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगा, उतने अभिकरणों को लगा सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा,

जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(4) प्राधिकरण ऐसे भत्ते या पारिश्रमिक पर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं उतने परामर्शदाताओं, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों को लगा सकेगा जितने इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अपेक्षित हों।

**123क. प्राधिकरण की निदेश जारी करने की शक्ति—**(1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, आदेश द्वारा, समय-समय पर आधार पारिस्थितिक तंत्र में किसी अस्तित्व को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक निदेश आधार पारिस्थितिक तंत्र में उस अस्तित्व के द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिसे ऐसा निदेश जारी किया गया है।]

## अध्याय 5

## अनुदान, लेखा और संपरीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

24. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु ठीक समझे।

<sup>1</sup>[25. निधि—(1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएँ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए होगा—

(क) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है; और

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय।]

26. लेखा और लेखा परीक्षा—(1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से लेखा बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने और मांग करने तथा प्राधिकरण के कार्यालयों में से किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

27. विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट आदि—(1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए या जैसा, केन्द्रीय सरकार निदेश दे, प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी विषय की बाबत ऐसी विवरणियां और विवरण तथा विशिष्टियां देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे पेश करेगा।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए तैयार करेगा:—

(क) प्राधिकरण के पूर्व वर्षों के सभी क्रियाकलापों का विवरण;

(ख) पूर्व वर्ष के वार्षिक लेखे; और

(ग) आगामी वर्ष के लिए कार्य संबंधी कार्यक्रम।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

## अध्याय 6

## सूचना का संरक्षण

28. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता—(1) प्राधिकरण व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धी सूचना और अधिप्रमाणन के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण, व्यक्तियों को पहचान सम्बन्धी सूचना और अधिप्रमाणन के अभिलेखों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा।

(3) प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगा कि प्राधिकरण के कब्जे की या नियंत्रण में सूचना, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में भंडारित सूचना भी है, ऐसी पढ़ें, उपयोग या प्रकटन से, जिसको इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियम के अधीन अनुज्ञात नहीं किया गया है और आकस्मिक या साशय विनाश, हानि या नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित है।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण,—

(क) समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय को अंगीकार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त या लगाए गए अभिकरण, परामर्शदाता, सलाहकार या अन्य व्यक्तियों के पास सूचना के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिकरणों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किए गए करारों या ठहरावों में अधिरोपित बाध्यताएं, उन बाध्यताओं के समतुल्य हैं, जो इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकरण पर अधिरोपित की गई हैं और ऐसे अभिकरणों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों तथा अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के अनुदेशों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा करेगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त, किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसके कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी या कोई ऐसा अभिकरण जो कि केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार को बनाए रखता है, अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चात्, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में भंडारित कोई सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख किसी को प्रकट नहीं करेगा:

परंतु कोई आधार संख्यांक धारक, ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण से उसकी कोर बायोमैट्रिक सूचना को अपवर्जित करते हुए, उसकी पहचान सूचना देने के लिए अनुरोध कर सकता है।

**29. सूचना साझा करने पर निर्बंधन—**(1) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित कोई कोर बायोमैट्रिक सूचना,—

(क) किसी भी कारण से किसी व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जाएगी, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन आधार संख्यांक के सृजन और अधिप्रमाणन से भिन्न, किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित कोर बायोमैट्रिक सूचना से भिन्न पहचान सम्बन्धी सूचना, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, साझा की जा सकेगी।

<sup>1</sup>[(3) अनुरोधकर्ता अस्तित्व या आफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व के पास उपलब्ध सूचना—

(क) अधिप्रमाणन या आफलाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित में सूचित प्रयोजनों से भिन्न, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी; या

(ख) अधिप्रमाणन या आफलाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित में सूचित प्रयोजनों से भिन्न, किसी प्रयोजन के लिए प्रकट नहीं की जाएगी:

परंतु खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्रयोजन व्यक्ति को समझने योग्य सुस्पष्ट और शुद्ध भाषा में होंगे।]

(4) किसी आधार संख्यांक धारक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित कोई आधार संख्यांक [जनसांख्यिकीय सूचना या छायाचित्र] विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या चिपकाई नहीं जाएगी।

**30. बायोमैट्रिक सूचना का संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना समझा जाना—**इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप में संगृहीत और भंडारित बायोमैट्रिक सूचना को “इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख” और “संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना” समझा जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) और उसके अधीन बनाए गए नियम में अंतर्विष्ट उपबंध ऐसी सूचना को उतने विस्तार तक, इस अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में लागू होंगे।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 13 द्वारा “या कोर बायोमैट्रिक सूचना” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(क) “इलैक्ट्रानिक रूप” पद का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है;

(ख) “इलैक्ट्रानिक अभिलेख” पद का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में उसका है;

(ग) “संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना” पद का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 43क के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है।

**31. जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना का परिवर्तन—**(1) यदि किसी आधार संख्यांक धारक की कोई जनसांख्यिकीय सूचना गलत पाई जाती है या उसमें तत्पश्चात् कोई परिवर्तन किया जाता है, तो आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण से ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में उसके अभिलेख में ऐसी जनसांख्यिकीय सूचना को परिवर्तित करने का अनुरोध करेगा।

(2) यदि किसी आधार संख्यांक धारक की कोई बायोमैट्रिक सूचना खो जाती है या उसमें तत्पश्चात् किसी कारण से परिवर्तन किया जाता है तो आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण से ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में उसके अभिलेख में आवश्यक परिवर्तित करने का अनुरोध करेगा।

(3) प्राधिकरण उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, उसके अभिलेख में यदि उसका ऐसा समाधान हो जाता है तो ऐसे आधार संख्यांक धारक से सम्बन्धित अभिलेख में ऐसा परिवर्तन, जो अपेक्षित हो, कर सकेगा और संबंधित आधार संख्यांक धारक को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा।

(4) इस अधिनियम या इस निमित्त बनाए गए विनियमों में उपबंधित रीति के सिवाय, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में की किसी पहचान सूचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

**32. सूचना रखना और अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध अभिलेखों तक पहुंच—**(1) प्राधिकरण ऐसी रीति से और ऐसी अवधि तक, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिप्रमाणन अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(2) प्रत्येक आधार संख्यांक धारक ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपना अधिप्रमाणन अभिलेख, अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) प्राधिकरण, स्वयं या उसके नियंत्रणाधीन किसी अस्तित्व के माध्यम से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के बारे में कोई सूचना संगृहीत, सुरक्षित या अनुरक्षित नहीं करेगा।

**33. कतिपय मामलों में सूचना का प्रकटन—**(1) धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (5) या धारा 29 की उपधारा (2) में की कोई बात [उच्च न्यायालय] से निम्नतर किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में किया गया सूचना का कोई प्रकटन, जिसके अंतर्गत पहचान सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख भी है, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा, प्राधिकरण को [तथा संबंधित आधार संख्या धारक को] सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

<sup>3</sup>[परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोर बायोमैट्रिक सूचना प्रकट नहीं की जाएगी।]

(2) धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (5) या धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में, उपधारा (2) या उपधारा (3) में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के जो, भारत सरकार के <sup>4</sup>[सचिव] की पंक्ति से नीचे का न हो किसी निदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए किसी सूचना के प्रकटन को जिसके अंतर्गत पहचान सम्बन्धी सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख भी है, लागू नहीं होगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश का, उसके प्रभावी होने से पूर्व मंत्रिमंडल सचिव और विधि कार्य विभाग और इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिवों से मिलकर बनी अन्वेक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन जारी कोई निर्देश उसके जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि तक विधिमान्य होगा जिसे अन्वेक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन के पश्चात् तीन मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 14 द्वारा “जिला न्यायालय” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 14 द्वारा “तथा संबंधित आधार संख्या धारक को” शब्दों का अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 14 द्वारा “संयुक्त सचिव” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## [अध्याय 6क

## सिविल शास्तियां]

**33क. इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने पर शास्ति—**(1) जहां आधार पारिस्थितिक तंत्र में कोई अस्तित्व इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या धारा 23क के अधीन प्राधिकरण को जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज, या रिपोर्ट की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसा अस्तित्व सिविल शास्ति का दायी होगा जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपए तक हो सकेगी और निरंतर असफलता के मामले में, अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा जो पहले उल्लंघन के पश्चात् असफलता जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस लाख रुपए तक हो सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति की रकम, यदि संदत्त न की गई हो तो, उसे वसूल की जा सकेगी मानो वह भू राजस्व का बकाया हो।

**33ख. न्यायनिर्णयन की शक्ति—**(1) धारा 33क के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए तथा उसके अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकरण, प्राधिकरण का एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से निम्न रैंक का नहीं होगा और उसके पास ऐसी अर्हता और अनुभव होगा, जो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होने के लिए विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन कोई जांच नहीं की जाएगी।

(3) जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी—

(क) आधार पारिस्थितिक तंत्र में अस्तित्व को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा ;

(ख) को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, के लिए समन करने तथा उपस्थित कराने की शक्ति होगी।

(4) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी का, ऐसी जांच करने पर, यह समाधान हो जाता है कि आधार पारिस्थितिक तंत्र में कोई अस्तित्व इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या धारा 23क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहा है या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज या रिपोर्ट की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा, धारा 33क के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

**33ग. अपील अधिकरण को अपीलें—**(1) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 14 के अधीन स्थापित दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलें सुनने के प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण होगा।

(2) आधार पारिस्थितिक तंत्र में धारा 33ख के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या अस्तित्व, अपील किए गए आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित किया जाए, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु अपील अधिकरण पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपील सुन सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् उस पर अपील किए गए आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।

(4) अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन फाइल की गई कोई अपील, अपील अधिकरण द्वारा यथासंभव त्वरित ढंग से निपटाई जाएगी और उसके द्वारा उस तारीख से, जिसमें अपील उसे प्रस्तुत की गई थी, छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

(6) अपील अधिकरण उसके समक्ष अपील का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी अपील निपटाने के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा तथा ऐसे आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित।

**33घ. अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ**—भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 14अ से धारा 14ट (दोनों सम्मिलित हैं) तथा धारा 16 और धारा 17 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में लागू होंगे, जैसे वे उस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन करने में लागू होते हैं।

**33ङ. भारत के उच्चतम न्यायालय को अपील**—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, ऐसे आदेश से विधि का कोई सारवान् प्रश्न उद्भूत होने पर, उच्चतम न्यायालय में अपील होगी।

(2) अपील अधिकरण द्वारा किए गए किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, जिस पर पक्षकार सहमत हो गए हैं।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्चतम न्यायालय पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपील सुन सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

**33च. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना**—किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारण करने के लिए सशक्त है, किसी सिविल न्यायालय को किसी वाद या कार्यवाही की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।]

## अध्याय 7

### अपराध और शास्तियां

**34. नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए शास्ति**—जो कोई मिथ्या जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना देते हुए किसी अन्य व्यक्ति का चाहे मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक, प्रतिरूपण करेगा या प्रतिरूपण करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**35. जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना को परिवर्तित करके आधार संख्या धारक का प्रतिरूपण करने के लिए शास्ति**—जो कोई किसी आधार संख्या धारक को या आधार संख्या धारक की पहचान को विनियोजित करने के आशय से किसी आधार संख्यांक धारक की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना में, किसी अन्य व्यक्ति का चाहे मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक, प्रतिरूपण करके या प्रतिरूपण का प्रयत्न करके परिवर्तन करेगा या करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**36. प्रतिरूपण के लिए शास्ति**—जो कोई, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहचान सूचना संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत न होते हुए शब्दों, आचरण या भावभंगिमा द्वारा ऐसा अपदेश करेगा कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कम्पनी की दशा में, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**37. पहचान सूचना के प्रकटन के लिए शास्ति**—जो कोई, नामांकन या अधिप्रमाणन के दौरान, संगृहीत किसी पहचान को, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किए गए किसी करार या ठहराव के उल्लंघन में अप्राधिकृत किसी व्यक्ति को साशय प्रकट करेगा, पारेषण करेगा या उसकी प्रतिलिपि बनाएगा या अन्यथा प्रसारित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कम्पनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

**38. केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति**—जो कोई, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए साशय, —

(क) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार तक पहुंच बनाएगा या पहुंच सुनिश्चित करेगा;

(ख) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार से या किसी स्थानांतरणीय भंडारण में भंडारित कोई डाटा डाउनलोड करेगा, प्रतिलिपि बनाएगा या उद्धरण लेगा;

(ग) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में कोई वायरस या अन्य कम्प्यूटर संदूषक प्रविष्ट करेगा या करवाएगा;

(घ) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में के डाटा को नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचवाएगा;

(ड) केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार तक पहुंच विछिन्न करेगा या विछिन्न करवाएगा;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को जो केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार तक पहुंच के लिए प्राधिकृत है, पहुंच बनाने से इंकार करेगा या इंकार करवाएगा;

(छ) धारा 28 की उपधारा (5) के उल्लंघन में कोई सूचना प्रकट करेगा या धारा 29 के उल्लंघन में सूचना साझा करेगा, उसका उपयोग या संप्रदर्शन करेगा या ऊपर उल्लिखित कृत्यों में से किसी कृत्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करेगा;

(ज) किसी स्थानान्तरणीय भंडारण मीडिया या केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में भंडारित किसी सूचना को नष्ट करेगा, हटाएगा या उसमें परिवर्तन करेगा या उसके मूल्य या उपयोगिता को कम करेगा या उसे किन्हीं साधनों द्वारा हानिकर रूप से प्रभावित करेगा; या

(झ) प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को नुकसान पहुंचाने के आशय से चुराएगा, छिपाएगा, नष्ट या परिवर्तित करेगा या किसी व्यक्ति से उसकी चोरी करवाएगा या उसे छिपवाएगा, नष्ट या परिवर्तित करवाएगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि <sup>1</sup>[दस वर्ष] तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “कंप्यूटर संप्लेक”, “कंप्यूटर वायरस” और “नुकसान” पदों के वही अर्थ होंगे जो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 43 के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं और “कंप्यूटर स्रोत कोड” पद का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के स्पष्टीकरण में उसका है।

**39. केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में डाटा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति**—जो कोई, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में या किसी स्थानान्तरणीय भंडारण, भंडार माध्यम से डाटा का, और “कंप्यूटर स्रोत कोड” पद का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के स्पष्टीकरण में उसका है। आधार संख्यांक धारक से संबंधित सूचना का उपांतरण करने के आशय से या उसकी किसी जानकारी का पता लगाने के आशय से उपयोग करेगा या उसमें कोई छेड़छाड़ करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि <sup>2</sup>[दस वर्ष] तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**<sup>3</sup>[40. अनुरोध करने वाले अस्तित्व या आफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति**— जो कोई,—

(क) अनुरोध करने वाले अस्तित्व होते हुए, धारा 8 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करेगा; या

(ख) आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व होते हुए, धारा 8 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।]

**41. प्रज्ञापना सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए शास्ति**—जो कोई, नामांकनकर्ता अभिकरण या अनुरोधकर्ता अस्तित्व होते हुए धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 8 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

**42. साधारण शास्ति**—जो कोई, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन कोई ऐसा अपराध करेगा जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्यत्र कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है, वह कारावास से, जिसकी अवधि <sup>4</sup>[तीन वर्ष] तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

**43. कंपनियों द्वारा अपराध**—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 16 द्वारा “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 17 द्वारा “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 19 द्वारा “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**44. अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन को लागू होना**—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध, अधिनियम का किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी, उसकी राष्ट्रीयता को विचार में लाए बिना लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के उपबंध, किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को लागू होंगे, यदि उस कृत्य या आचरण में, जिससे यह अपराध या उल्लंघन होता है, केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में का कोई डाटा अंतर्वलित हो।

**45. अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति**—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

**46. शास्तियों का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना**—इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य शास्ति या दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगी।

**47. अपराधों का संज्ञान**—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, नहीं करेगा।

[परंतु न्यायालय, आधार संख्या धारक या व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर, धारा 34 या धारा 35 या धारा 36 अथवा धारा 37 या धारा 40 या धारा 41 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा।]

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

## अध्याय 8

### प्रकीर्ण

**48. केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति**—(1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) प्राधिकरण, ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण के परे हैं, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को हानि हुई है; या

(ग) लोक आपात विद्यमान हो गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक छह मास की उतनी अवधि के लिए जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जैसा राष्ट्रपति निदेश दें:

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 20 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व प्राधिकरण को प्रस्थापित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदन पर यदि कोई हों, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अतिष्ठित करने की तारीख से ही अपना पद, उसी रूप में रिक्त कर देंगे;

(ख) उन सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग किया जा सकेगा या निर्वहन किया जा सकेगा, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा; और

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक, केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल की समाप्ति पर या उसके पूर्व, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण का, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तए सिरे से नियुक्ति करके, पुनर्गठन करेगी और ऐसी दशा में ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया है, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति और इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

**49. सदस्यों, अधिकारियों आदि का लोक सेवक होना**—प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थात्गत लोक सेवक हैं।

**50. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति**—(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के पालन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आवद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार, उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व प्राधिकरण को यथासाध्य अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण द्वारा तकनीकी या प्रशासनिक विषयों से संबंधित निदेश के लिए सशक्त नहीं करेगी।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

**[50क. आय पर कर से छूट**—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपनी आय, लाभ या अभिलाभ के संबंध में आय-कर या कोई अन्य कर संदाय करने का दायी नहीं होगा।]

**51. प्रत्यायोजन**—प्राधिकरण, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी [सदस्य या अधिकारी] या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 54 के अधीन शक्ति के सिवाय) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

**52. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण**—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी।

**53. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें और वह प्राधिकारी, जिसके समक्ष, धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी;

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 22 द्वारा “सदस्य, अधिकारी” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[(कक) वह प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोधकर्ता अस्तित्व को धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अधिप्रमाणन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए;]

(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक;

(ग) धारा 17 के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(घ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (न) के अधीन प्राधिकरण की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ङ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप;

(च) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां और विवरण तथा विशिष्टियां दी जाएंगी:

(छ) वह प्ररूप और रीति तथा समय जब प्राधिकरण, धारा 27 की उपधारा (2) अधीन वार्षिक रिपोर्ट देगा;

<sup>1</sup>[(छक) धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी की अर्हता और अनुभव तथा उसकी नियुक्ति की रीति;

(छख) धारा 33ग की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल किए जाने का प्ररूप, रीति और फीस ;]

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए ।

**54. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति**—(1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

<sup>2</sup>[(क) धारा 2 के खंड (कक) के अधीन आधार पारिस्थितिक तंत्र में के अस्तित्व या अस्तित्व समूह, खंड (छ) के अधीन बायोमैट्रिक सूचना और खंड (ट) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना, खंड (ड) के अधीन नामांकनकर्ता अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना संगृहीत करने की प्रक्रिया तथा खंड (तक) के अधीन आधार संख्या धारक के आफलाइन सत्यापन की रीतियां;]

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आधार संख्या जारी करने के लिए जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना के सत्यापन की रीति;

<sup>3</sup>[(खक) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन वैकल्पिक परोक्ष पहचान जनित करने की रीति ;

(खख) ऐसी रीति, जिसमें धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन आधार संख्या का रद्दकरण किया जाएगा ।]

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आधार संख्यांक धारक की पहचान के सबूत के रूप में आधार संख्या स्वीकार करने के लिए शर्तें;

<sup>3</sup>[(गक) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अनुरोधकर्ता अस्तित्वों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले गोपनीयता और सुरक्षा के मानक ;

(गख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अनुरोधकर्ता अस्तित्वों का वर्गीकरण ;]

(घ) धारा 5 के अधीन व्यक्तियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जिनके लिए प्राधिकरण आधार संख्या आबटित करने हेतु विशेष उपाय करेगा;

(ङ) धारा 6 के अधीन बायोमैट्रिक सूचना और जनसांख्यिकीय सूचना को अद्यतन करने की रीति;

(च) धारा 8 के अधीन आधार संख्या के अधिप्रमाणन के लिए प्रक्रिया;

<sup>3</sup>[(चक) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन व्यक्ति की पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन ;

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित ।

(चख) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सहमति अभिप्राप्त करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन आफ लाइन सत्यापन करने के लिए व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाने की रीति और उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आफ लाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्वों के दायित्व ;]

(छ) धारा 10 के अधीन केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य;

(ज) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसके द्वारा कार्य करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ञ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना और खंड (ख) के अधीन उनके संग्रहण की रीति;

(ट) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में व्यक्तियों की सूचना का बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की रीति;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन आधार संख्या और उससे संबंधित सूचना का लोप या उसे निष्क्रिय करने की रीति;

(ड) विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं और ऐसे अन्य प्रयोजनों, जिनके लिए धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन आधार संख्या का उपयोग किया जा सकेगा, के लिए आधार संख्याओं के उपयोग की रीति;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन रजिस्ट्रार, नामांकनकर्ता अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उनकी नियुक्तियों का प्रतिसंहरण;

(ण) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन आधार संख्यांक धारक की सूचना साझा करने की रीति;

(त) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन डाटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी रक्षोपाय से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं;

(थ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के अधीन विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नई आधार संख्या जारी करने की प्रक्रिया;

(द) रजिस्ट्रार, नामांकनकर्ता अभिकरण या अन्य सेवा प्रदाताओं को, धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस के संग्रहण हेतु प्राधिकृत करने की रीति;

(ध) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन रजिस्ट्रार, नामांकनकर्ता अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां और पद्धतियां;

(न) धारा 28 की उपधारा (5) के परंतुक के अधीन आधार संख्यांक धारक द्वारा पहचान सूचना तक पहुंच बनाने की रीति;

(प) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित कोर बायोमैट्रिक सूचना से भिन्न पहचान सूचना साझा करने की रीति;

(फ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और उपधारा (2) के अधीन बायोमैट्रिक सूचना में परिवर्तन करने की रीति;

(ब) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अधिप्रमाणन के अनुरोध और उस पर की गई प्रतिक्रिया को अनुरक्षित रखने की रीति और समय तथा उपधारा (2) के अधीन आधार संख्यांक धारक द्वारा अधिप्रमाणित अभिलेख अभिप्राप्त करने की रीति;

(भ) कोई अन्य विषय, जिसका विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए ।

**55. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना**—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं

बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**56. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना**—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

1\* \* \* \* \*

**58. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**59. व्यावृत्तियां**—यथास्थिति, भारत सरकार के योजना आयोग के संकल्प से सम्बन्धित अधिसूचना संख्यांक ए-43011/02/2009- प्रशासन 1, तारीख 28 जनवरी, 2009 या मंत्रिमंडल सचिवालय से सम्बन्धित अधिसूचना संख्यांक का०आ० 2492 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2015 के अधीन इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, केन्द्रीय द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन विधिमान्यतः की गई समझी जाएगी।

—

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 14 की धारा 25 द्वारा “धारा 57” का लोप किया गया।